

भाग ब
राजस्व प्रक्षेत्र

अध्याय-1: सामान्य

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित प्राप्तियों और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध बकाया करों के लंबित संग्रहण का विहंगावलोकन प्रस्तुत है।

1.2 राजस्व की प्रवृत्ति

1.2.1 2019-20 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त हुए राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े तालिका-1.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका-1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व					
	• कर राजस्व	11,478.95	13,299.25	12,353.44	14,752.04	16,771.45
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	10.91	15.86	(-) 7.11	19.42	13.69
	• कर-भिन्न राजस्व	5,853.01	5,351.41	7,846.67	8,257.98	8,749.98
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	35.02	(-) 8.57	46.63	5.24	5.96
	कुल	17,331.96	18,650.66	20,200.11	23,010.02	25,521.43
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	15,968.75	19,141.92	21,143.63	23,906.16	20,593.04
	• सहायता अनुदान	7,337.64	9,261.35	11,412.29	9,235.52	12,302.67
	कुल	23,306.39	28,403.27	32,555.92	33,141.68	32,895.71
3	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	40,638.35	47,053.93	52,756.03	56,151.70	58,417.14
4	1 से 3 का प्रतिशतता	43	40	38	41	44

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 25,521.43 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 44 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 के दौरान शेष 56 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त हुईं। 2018-19 की तुलना में 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व में क्रमशः 13.69 एवं 5.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रतिशतता के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के लिये राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विघटन चार्ट-1.1 में दिखाया गया है।



1.2.2 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण तालिका-1.2 में दिया गया है।


तालिका-1.2: कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2018-19 की तुलना में 2019-20 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,998.95	10,549.25	5,714.69	3,474.96	3,996.33	(+) 15.00
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	4,123.88	8,200.84	8,417.72	(+) 2.64
3	राज्य उत्पाद	912.47	961.68	840.81	1,082.82	2,009.27	(+) 85.56
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	531.64	607.00	469.34	451.04	560.33	(+) 24.23
5	वाहनों पर कर	632.59	681.52	778.37	863.94	1,128.98	(+) 30.68
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	125.68	151.89	183.50	209.07	236.24	(+) 13.00
7	भू-राजस्व	164.35	240.26	156.01	389.38	337.98	(-) 13.20
8	पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	82.88	67.69	73.98	78.61	83.93	(+) 6.77
9	अन्य	30.39	39.95	12.86	1.38	0.67	(-) 51.45
	कुल	11,478.95	13,299.25	12,353.44	14,752.04	16,771.45	(+) 13.69

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 के लिये कर राजस्व का विघटन चार्ट-1.2 में दिखाया गया है।



कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों में 2018-19 की तुलना में 2019-20 की प्राप्तियों में परिवर्तन के कारण निम्न थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर: विभाग द्वारा 6.32 प्रतिशत की वृद्धि का कारण पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट की दर में वृद्धि एवं बेहतर कर प्रशासन बताया गया (सितम्बर 2021)।

राज्य उत्पाद: विभाग द्वारा 85.56 प्रतिशत की वृद्धि का कारण 2018-19 की तुलना में 2019-20 में दुकानों की संख्या में वृद्धि और नई खुदरा उत्पाद नीति का लागू किया जाना बताया गया (दिसम्बर 2020)।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: विभाग द्वारा 24.23 प्रतिशत की वृद्धि का कारण सर्किल रेट में भूमि के न्यूनतम मूल्य में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी बताया गया (सितम्बर 2021)।

वाहनों पर कर: विभाग ने 30.68 प्रतिशत वृद्धि का कारण नए कर ढांचे को लागू किया जाना (जनवरी 2019), प्रमादी वाहन स्वामियों से बकाये कर की वसूली एवं नए वाहनों का पंजीकरण में वृद्धि बताया गया (नवम्बर 2020)।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विभाग द्वारा 13 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बेहतर कर प्रशासन बताया गया (सितम्बर 2021)।

भू-राजस्व: विभाग द्वारा 13.20 प्रतिशत की कमी का कारण 2019 में लोक सभा एवं झारखण्ड विधान सभा निर्वाचन बताया गया (सितम्बर 2021)।

1.2.3 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व का विस्तृत विवरण तालिका-1.3 में दर्शाया गया है।


तालिका-1.3
कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2018-19 की तुलना में 2019-20 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	4,384.43	4,094.25	5,941.36	5,934.64	5,461.36	(-) 7.97
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	4.13	4.48	4.44	14.79	17.59	(+) 18.93
3	ब्याज प्राप्तियाँ	122.44	121.34	168.88	47.20	309.51	(+) 555.74
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.73	36.79	135.78	8.46	84.61	(+) 900.12
5	अन्य ¹	1,338.28	1,094.55	1,596.21	2,252.89	2,876.91	(+) 27.70
	कुल	5,853.01	5,351.41	7,846.67	8,257.98	8,749.98	(+) 5.96

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 के लिए कर-भिन्न राजस्व का विघटन चार्ट-1.3 में दिखाया गया है।



2018-19 की तुलना में 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन का कारण निम्न बताया गया:

अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग: विभाग द्वारा 7.97 प्रतिशत की कमी का कारण वैधानिक स्वीकृतियाँ जैसे वाणिकी स्वीकृति, पर्यावर्णीय स्वीकृति, संचालन की सहमति इत्यादि नहीं मिलने के कारण नये खनन पट्टों का संचालन नहीं होना,

¹ अन्य में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

न्यायालय द्वारा राजस्व उगाही पर रोक एवं मानव शक्ति और आधार भूत संरचनाओं की कमी बताया गया (जनवरी 2021)।

अन्य विभागों द्वारा बार-बार निवेदन के बावजूद 2018-19 की तुलना में 2019-20 में राजस्व में परिवर्तन का कारण नहीं बताया गया।

ब्याज प्राप्तियाँ: विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में ब्याज प्राप्तियों में 555.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष के दौरान रोकड़ शेष निवेश पर वसूल की गई ब्याज में 2018-19 की तुलना में ₹238.85 करोड़ की वृद्धि हुई।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: सामाजिक सुरक्षा और कल्याण शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में 900.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस वृद्धि का मुख्य कारण सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि को गलत तरीके से लघु शीर्ष '913- सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2020 को राजस्व के पाँच प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ₹ 12,179.30 करोड़ थी, जिसमें ₹ 2,898.27 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था, जैसा कि तालिका-1.4 में वर्णित है।

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 को बकाया राशि	31 मार्च 2020 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,081.95	1,881.27	₹ 6,081.95 करोड़ में से ₹ 1,182.88 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। ₹ 1,007.76 करोड़ एवं ₹ 457.03 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों/अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 83.47 करोड़ की माँग पर क्रमशः सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी और डीलरों के दिवालिया होने के कारण ₹ 67.95 करोड़ राशि की वसूली बाधित रहा। शेष ₹ 3,282.86 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)।

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 को बकाया राशि	31 मार्च 2020 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
2	वाहनों पर कर	119.12	0.00	₹ 119.12 करोड़ में से ₹ 54.94 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। शेष ₹ 64.18 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)।
3	राज्य उत्पाद	46.13	30.03	₹ 46.13 करोड़ में से ₹ 18.03 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। ₹ 7.65 करोड़ एवं ₹ 6.90 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों/अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 10.56 लाख की माँग पर क्रमशः सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी और ₹ 16.08 लाख राशि की अपलेखन की संभावना है। शेष ₹ 20.12 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)।
4	भू-राजस्व	320.02	249.23	बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)।
5	खनिज प्रप्तियाँ	5,612.08	737.74	₹ 5,612.08 करोड़ में से ₹ 3,713.68 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। ₹ 1,243.62 करोड़ एवं ₹ 2.44 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों/अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 8.31 करोड़ एवं ₹ 2.44 करोड़ की माँग पर क्रमशः सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी एवम् पट्टाधारियों के दिवालिया होने के कारण और ₹ 12.12 करोड़ राशि की अपलेखन की संभावना है। शेष ₹ 631.89 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (जनवरी 2022)।
कुल		12,179.30	2,898.27	

लेखापरीक्षा द्वारा सक्रिय अनुसरण के बाबजूद अन्य विभागों द्वारा 31 मार्च 2020 तक राजस्व लंबित संग्रह के बकाया की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी (जनवरी 2022)।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण - संक्षेपित स्थिति

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यों के प्रक्रिया के नियमानुसार, प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उद्धृत लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेना है, भले ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा इसकी जाँच की गयी है हो या नहीं। विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण कराकर कार्रवाई की टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना है, जिसमें उनके द्वारा की गयी या की जाने वाली सुधारात्मक कार्यवाई इंगित किया गया हो। अग्रेत्तर, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना द्वारा जारी (अगस्त 1993) निर्देशों के अनुसार, सरकारी विभागों को तीन महीने के अन्दर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है और समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर कार्रवाई की टिप्पणी (ए.टी.एन.) छह महीने के अन्दर विभागों द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिये। तथापि, मार्च 2015 और सितंबर 2020 के बीच राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 को समाप्त हुए वर्षों के लिए नि.म.ले.प. के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित 118 कण्डिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) के संबंध में तीन माह के औसत विलम्ब के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण विलम्ब देखा गया। विभिन्न विभागों² से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण तालिका-1.5 में दिया गया है।

तालिका-1.5: लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष	विधान मंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथि	कण्डिकाओं की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कण्डिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1	2014	26.03.2015	28	20	8
2	2015	15.03.2016	32	4	28
3	2016	02.02.2017	32	14	18
4	2017	20.07.2018	17	4	13
5	2018	21.09.2020	9	1	8
कुल			118	43	75

वर्ष 2019-20 तक, लो.ले.स. ने वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित 28 कण्डिकाओं पर चर्चा की है। 2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013-14 और 2016-17 से संबंधित 11 कण्डिकाओं पर दूसरी या उत्तरोत्तर बार चर्चा की गई। परन्तु, उन कण्डिकाओं पर कोई सिफारिश नहीं की गयी थी।

² वाणिज्य कर (33 कण्डिकाएँ), उत्पाद एवं मद्य निषेध (6 कण्डिकाएँ), परिवहन (21 कण्डिकाएँ), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार (9 कण्डिकाएँ) और खनन एवं भू-तत्व (6 कण्डिकाएँ)।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात, लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च पदाधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिये निर्गत करती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक के लिये निर्गत नि.प्र. की समीक्षा में उदघटित हुआ कि 1,004 नि.प्र. के संबंध में 9,274 कण्डिकार्यें सितम्बर 2021 के अंत तक लंबित थी। इन नि.प्र. में बताये गये वसूली योग्य संभावित राजस्व ₹ 17,176.92 करोड़ के बराबर है जबकि 2019-20 में राज्य का कुल राजस्व प्राप्त ₹ 25,521.43 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण तालिका-1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6: निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	250	5,003	7,835.76
		प्रवेश कर	5	5	9.54
		विद्युत पर कर एवं शुल्क	12	55	93.65
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	157	775	820.49
3	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	भू-राजस्व	98	491	4,281.57
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	164	1,202	542.81
5	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	140	642	36.73
6	खनन एवं भू-तत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	178	1,101	3,556.37
कुल			1,004	9,274	17,176.92

2008-09 से निर्गत किये गये 156 नि.प्र. के प्रथम उत्तर भी जिसे नि.प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर कार्यालयों प्रमुखों से प्राप्त होना है, प्राप्त नहीं हुए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के पाँच विभागों³ को शामिल किया गया था और 2019-20 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, वाहनों पर कर और खनिज प्राप्तियों से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 590 इकाइयों में से 103 इकाइयों (17.46 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इन पाँच विभागों ने, 2018-19 के दौरान ₹ 20,397.62 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया था, जिनमें से 103 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 12,422.22 करोड़ (60.90 प्रतिशत) संग्रहित किये। 103 लेखापरीक्षित इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने 74,878 मामलों में ₹ 3,838.60 करोड़ (इकाइयों द्वारा संग्रहित राजस्व का 30.90 प्रतिशत) के अवनिर्धारण, कर/ब्याज/जुर्माना का अनारोहण/अल्पारोपण, राजस्व की हानि इत्यादि पाया। लेखापरीक्षा ने व.एवं.से.क. रिफण्ड पर लेखापरीक्षा किया, जिसमें ₹ 11.57 लाख की अनियमितता उद्घटित हुआ। सम्बंधित विभागों ने अवनिर्धारण/ और अन्य अनियमितताओं से सम्बंधित 74,119 मामलों में ₹ 755.44 करोड़ (कुल लेखापरीक्षा अवलोकण का 19.68 प्रतिशत) को स्वीकार किया और 231 मामलों में ₹ 13.30 करोड़ वसूल किया।

1.7 इस अनुभाग का विस्तार

इस अनुभाग में चयनित 10 कण्डिकायें जो इस वर्ष के स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, और व.एवं.से.क. रिफण्ड पर लेखापरीक्षा शामिल हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 1,138.20 करोड़ है।

विभाग/सरकार ने ₹ 338.73 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 1.60 करोड़ वसूली की।

बतायी गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। अतः विभाग/सरकार सभी इकाइयों की गहन समीक्षा यह जाँच करने के लिए करे कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा एक प्रणाली, जो इस तरह के त्रुटियाँ/चूकों को रोक सके, को स्थापित करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण कर सकती है।

³ वाणिज्य कर, उत्पाद एवं मद्य निषेध, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, परिवहन और खान एवं भू-तत्त्व विभाग।

अध्याय-11: अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/ मूल्यवर्द्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमावलियों द्वारा शासित होते हैं। 01 जुलाई 2017 से, राज्य में झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.व.एवं.से.क.) अधिनियम 2017 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। राज्य कर प्रधान/मुख्य आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग (वा.क.वि.) में इन अधिनियमों और नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें राज्य कर अपर आयुक्त और संयुक्त आयुक्तों (सं.आ.रा.क.), अन्य राज्य कर उप/सहायक आयुक्तों के साथ राज्य कर संयुक्त आयुक्तों अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), सतर्कता और निगरानी का सहयोग प्राप्त होता है।

राज्य पाँच वाणिज्य कर प्रमंडलों¹, प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार में एवं 28 अंचलों², प्रत्येक राज्य कर उपायुक्त/ सहायक आयुक्त (रा.क.उ.आ./रा.क.स.आ.) के प्रभार में विभाजित है। अंचल के रा.क.उ.आ./रा.क.स.आ., जो सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं उन्हें राज्य कर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है। राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में एक उपायुक्त अ.ब्यू. पदस्थापित होते हैं और प्रत्येक प्रमंडल में, मुख्यालय के नियंत्रण में एक रा.क.उ.आ. (सतर्कता और निगरानी) पदस्थापित होते हैं और करदाताओं के गोदाम या मालखानों के निरीक्षण, वस्तुओं या दस्तावेजों की जाँच एवं जब्ती, वस्तुओं के आवागमन का निरीक्षण एवं इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कार्य का निर्वहन करते हैं।

¹ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

² आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची स्पेशल, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2019-20 के दौरान, वाणिज्य कर विभाग के लेखापरीक्षा योग्य 44 इकाइयों में से 22 इकाइयों³ (50 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान राज्य में कुल 2,28,771 करदाता निबंधित थे, जिनमें से 89,294 करदाता नमूना जाँच किये गये अंचलों में निबंधित थे तथा लेखापरीक्षा के द्वारा 2,247 कर निर्धारण अभिलेखों का जाँच किया गया। इसके अलावा "व.एवं.से.क. रिफण्ड" पर एक लेखापरीक्षा भी किया गया। विभाग ने 2018-19 के दौरान ₹ 11,675.96 करोड़ (बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹ 3,474.96 करोड़ और राज्य वस्तु एवं सेवा कर: ₹ 8,200.84 करोड़) राजस्व का संग्रहण किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 10,931.09 करोड़ (94 प्रतिशत) संग्रहण किया। लेखापरीक्षा ने 534 मामलों में सन्निहित ₹ 1,827.67 करोड़ के अनियमितताओं की पहचान किया, जैसा कि तालिका-2.1 में वर्णित है।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	व.एवं.से.क. रिफण्ड	1	0.12
2	आवर्त के छिपाव के कारण कर का नहीं/कम अधिरोपण	150	1,051.51
3	ब्याज का नहीं/कम लगाया जाना	97	307.10
4	कर से छूट की अनियमित स्वीकृति	77	149.45
5	ब्याज/अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	17	128.25
6	गलत आवर्त निर्धारण के कारण कर का नहीं/कम लगाया जाना	25	64.13
7	इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत स्वीकृति	80	56.82
8	कर की गलत दरों का अनुप्रयोग	40	23.76
9	अन्य मामले	47	46.53
कुल		534	1,827.67

विभाग ने 81 मामलों (15 प्रतिशत) में ₹ 335.76 करोड़ (18 प्रतिशत) कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

व.एवं.से.क. रिफण्ड से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को कण्डिका 2.3 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) और केन्द्रीय बिक्री कर से संबंधित ₹ 1,120.59 करोड़ के 157 मामलों के अनियमितताओं को कण्डिका 2.4 से 2.11 में दर्शाया गया है। सट्टा मामलें जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरंतर प्रतिवेदित रहीं, का विवरण तालिका-2.2 में वर्णित है।

³ कार्यालय राज्य कर उपायुक्त, आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिण, राँची स्पेशल, राँची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट; और राज्य कर सचिव-सह-आयुक्त।

तालिका-2.2

(₹ करोड़ में)

अवलोकनों की प्रकृति	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाव	69	169.03	18	284.10	108	405.37	1	1.10	3	25.99	199	885.59
बढ़ाये गए आवर्त पर ब्याज/अर्धदण्ड नहीं लगाया जाना	17	60.73	15	53.14	-	-	2	3.93	2	1.60	36	119.40
अस्वीकृत छूटों/रियायतों पर ब्याज का अनारोपण	52	72.58	19	119.92	62	142.00	6	10.95	2	3.97	141	349.42
इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति में अनियमितताएँ	24	8.35	11	5.76	26	3.36	-	-	-	-	61	17.47
सकल/करदेय आवर्त का गलत निर्धारण	6	4.39	18	10.22	24	41.20	-	-	-	-	48	55.81
कर के गलत दर का अनुप्रयोग	22	6.96	22	15.44	21	11.07	-	-	1	4.39	66	37.86
कर का अल्पारोपण	13	6.27	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6.27
केन्द्रीय बिक्री कर का अवनियमितताएँ	-	-	5	0.52	1	0.35	-	-	-	-	6	0.87

यद्यपि वाणिज्य कर विभाग ने निर्धारण प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया (मई 2015) कि समान प्रकार के लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुनरावृत्ति न हो एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों पर समुचित कारवाई करने का आश्वासन दिया (अगस्त 2016), यह पाया गया कि समान प्रकार की अनियमितताएँ कायम रहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार और वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष बताये गये निरंतर घटित अनियमितताओं को दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किया है।

2.3 वस्तु एवं सेवा कर रिफण्ड की लेखापरीक्षा

2.3.1 प्रस्तावना

समयोचित रिफण्ड तंत्र कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कार्यशील पूंजी तथा मौजूदा व्यवसाय के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए अवरुद्ध निधि जारी करके व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। वस्तु एवं सेवा कर (व.एवं.से.क.) नियमावली के अंतर्गत रिफण्ड से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य व.एवं.से.क. व्यवस्था के तहत रिफण्ड प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं मानकीकरण करना है। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रिफण्ड मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, 26 सितम्बर 2019 के पूर्व दाखिल किए गए रिफण्ड आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक-सह-मैनुअल प्रक्रिया में संसाधित किया गया था, जहाँ आवेदकों को सामान्य पोर्टल पर प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-01ए में रिफण्ड आवेदन दाखिल कर, उसका एक प्रति सभी सहायक दस्तावेजों के साथ संलग्न कर क्षेत्राधिकार कर कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना था। तदन्तर, इन रिफण्ड आवेदनों का प्रसंस्करण, जैसे अभिस्वीकृति जारी करना, कमियों का जापन जारी करना, औपबंधिक/अंतिम रिफण्ड आदेश पारित करना, संदाय सलाह आदि का कार्य मैनुअल

रूप से किया जाता था। 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरांत दाखिल किए गए आवेदनों के लिए, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जिसे रिफण्ड प्रक्रिया का स्वचालन भी कहा जाता है, जहाँ आवेदन जमा करने से लेकर उसके प्रसंस्करण तक के सभी चरणों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा रहा है।

2.3.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.व.एवं.से.क.) अधिनियम के तहत रिफण्ड मामलों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए किया गया था कि:

- अधिनियम, नियमावली, रिफण्ड प्रदान करने के संबंध में जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता;
- कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन और करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावशीलता; तथा
- क्या रिफण्ड आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के निष्पादन की जाँच के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

2.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए:

- झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 और धारा 77;
- झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 89 से 97ए;
- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16 और 19; तथा
- विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना एवं परिपत्र, कार्यकारी एवं विभागीय आदेश एवं निर्देश।

2.3.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और विस्तार

जुलाई 2017 से जुलाई 2020 की अवधि से सम्बंधित "व.एवं.से.क. रिफण्ड" का लेखापरीक्षा नवम्बर 2020 और जुलाई 2021 के बीच संचालित किया गया। उक्त अवधि के लिए अखिल भारतीय रिफण्ड के आँकड़े वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) से प्राप्त किया गया। 26 सितम्बर 2019 के पूर्व दाखिल रिफण्ड आवेदनों को करदाताओं द्वारा दावा की गई रिफण्ड राशि के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया गया और उन्हें चार चतुर्थक में विभाजित किया गया, प्रत्येक चतुर्थक से 60 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और पाँच प्रतिशत मामलों का चयन करके नमूना तैयार किया गया। 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल किए गए आवेदनों के लिए, दावा किए गए रिफण्ड की राशि (60 प्रतिशत महत्व), रिफण्ड की स्वीकृति देने में विलम्ब (15 प्रतिशत महत्व), रिफण्ड स्वीकृत/रिफण्ड दावा अनुपात (10 प्रतिशत महत्व) और कमियों का ज्ञापन निर्गत (15 प्रतिशत महत्व) जैसे जोखिम मापदंडों का

उपयोग करके एक समग्र जोखिम स्कोर तैयार किया गया। तदनुसार, 25 वाणिज्य कर अंचलों⁴ में संसाधित 144 रिफण्ड मामलों (26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 मामले और 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल किए गए 70 मामले) का चयन किया गया।

2.3.5 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा प्रणाली में प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-01ए में रिफण्ड आवेदन दाखिल करने, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 / जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में अभिस्वीकृति/ कमियों का ज्ञापन जारी करने, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-04 में औपबंधिक रिफण्ड जारी करने, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-06 में रिफण्ड की स्वीकृति/अस्वीकृति से संबंधित आदेश, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05 में संदाय सलाह, दावे की शुद्धता का पता लगाने के लिए दावे के समर्थन से सम्बंधित अभिलेखों⁵ की जाँच और रिफण्ड दावे को संसाधित एवं रिफण्ड का दावा जमा करने में अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा⁶ का पालन किया जाना का पता लगाया जाना सम्मिलित किया गया। इसके अलावा, 26 सितम्बर 2019 के उपरान्त दाखिल किए गए रिफण्ड दावों की जाँच के लिए जी.एस.टी.एन. के बैकएंड प्रणाली को भी मुल्यांकित किया गया। लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं विस्तार और लेखापरीक्षा प्रणाली पर चर्चा करने के लिए 22 जुलाई 2021 को सचिव, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक आरंभिक बैठक आयोजित किया गया था। बहिर्गमन सम्मेलन सचिव, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ 04 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों, निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। सरकार/विभाग के विचारों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

आभारोक्ति

आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार के सहयोग के लिए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग आभार व्यक्त करता है।

⁴ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, गिरिडीह, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

⁵ बीजकों की संख्या और दिनांक का विवरण, शिपिंग बिलों/निर्यात बिलों की संख्या और दिनांक का विवरण, प्रमाण सहित भुगतान का विवरण, स्व-घोषणा, झा.व.एवं.से.क. नियमावली के नियम 89 के तहत, संलग्न साक्ष्य के रूप में निर्धारित संबंधित दावे के समर्थन में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

⁶ प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-01ए - दो वर्षों की समाप्ति के पूर्व, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02/03 - दावा दाखिल करने के 15 दिनों के अन्दर, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-04 - अभिस्वीकृति जारी होने के 07 दिनों के अन्दर, जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05/06 - दावा दाखिल करने के 60 दिनों के अन्दर।

2.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने रिफण्ड दावों के प्रसंस्करण की प्रणाली का मूल्यांकन किया और झा.व.एवं.से.क. अधिनियम/नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में मैनुअल रूप से संसाधित साथ ही साथ स्वचालित रूप से संसाधित रिफण्ड आवेदनों में अनियमितताओं के परिणामस्वरूप रिफण्ड आवेदन की अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब, कमियों का ज्ञापन जारी करने में विलम्ब, रिफण्ड की स्वीकृति/अस्वीकृति में विलम्ब, रिफण्ड आवेदन की स्वीकृति में देरी के कारण ब्याज की देयता, गलत रिफण्ड का अनुमत्य, बकाया के सत्यापन के बिना रिफण्ड का अनुमत्य आदि का अवलोकन किया। इन अनियमितताओं का कारण शीर्ष स्तर पर निगरानी का न होना और रिफण्ड दावों के सत्यापन के लिए जाँच सूची का सूत्रीकरण न होना था, जिसका समुचित अधिकारियों⁷ द्वारा समान रूप से उपयोग किया गया।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए रिफण्ड मामलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए अनियमितताओं का विवरण तालिका-2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका- 2.3

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की प्रकृति	लेखापरीक्षा नमूना		पाए गए अनियमितताओं की संख्या		नमूने के प्रतिशत में अनियमितताएँ
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब	144	3,152.90	19	0	13.19
अभिस्वीकृति जारी नहीं किया जाना	144	3,152.90	12	0	8.33
प्रपत्र जी.एस.टी.आर.एफ.डी.-03 में कमियों का ज्ञापन संप्रेषित करने में विलम्ब	144	3,152.90	12	0	8.33
रिफण्ड आवेदन की स्वीकृति में विलम्ब और फलस्वरूप ब्याज की देयता	144	3,152.90	33	5.48	22.92
रिफण्ड आवेदन की अस्वीकृति में विलम्ब	144	3,152.90	12	0	8.33
औपबंधिक रिफण्ड के मामले में अंतिम रिफण्ड स्वीकृत नहीं किया जाना	48	362.70	7	5.01	14.58
स्वीकृत रिफण्ड दावों का भुगतान नहीं किया जाना	144	3,152.90	2	0.51	1.39
औपबंधिक रिफण्ड की स्वीकृति में विलम्ब	48	362.70	8	0	16.67
रिफण्ड का गलत अनुमत्य	144	3,152.90	1	0.15	0.69
बकाए की जाँच के बिना रिफण्ड दावों की स्वीकृति	144	3,152.90	2	0.42	1.39

⁷ समुचित अधिकारी का अर्थ है आयुक्त या राज्य कर का अधिकारी, जिसे आयुक्त द्वारा यह कार्य सौंपा गया है। ₹ 2 लाख से अधिक के रिफण्ड मामलों में उपायुक्त और ₹ 2 लाख तक के रिफण्ड मामलों में सहायक आयुक्त को आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा ने 13 प्रतिशत मामलों में अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब, आठ प्रतिशत मामलों में अभिस्वीकृति जारी नहीं किया जाना, आठ प्रतिशत मामलों में प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों का ज्ञापन सूचित करने में विलम्ब और एवं 23 प्रतिशत मामलों में रिफण्ड आवेदन स्वीकृति में विलम्ब के फलस्वरूप ब्याज की देयता को पाया। तदन्तर, लेखापरीक्षा ने अधिनियमों और नियमावलियों के प्रावधानों से अन्य विचलनों को भी पाया जिसके परिणामस्वरूप 15 प्रतिशत मामलों में औपबंधिक रिफण्ड के मामले में अंतिम रिफण्ड स्वीकृत नहीं किए गए और 17 प्रतिशत मामलों में औपबंधिक रिफण्ड की स्वीकृति में विलम्ब हुए। इन मामलों के आधार पर पाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं चिन्हित किए गए खामियों को अनुवर्ती कण्डिकाओं में शामिल किया गया है।

2.3.6.1 प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में अभिस्वीकृति जारी करने में कमियाँ

समुचित अधिकारियों ने निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया और 19 मामलों में रिफण्ड आवेदनों की अभिस्वीकृति, रिफण्ड आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों की निर्धारित अवधि के उपरांत नौ से 246 दिनों के बीच के विलम्ब से जारी किए। इसके अलावा, 12 मामलों में अभिस्वीकृति आदिनांक जारी नहीं किए गए।

झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 (1) और (2) यह प्रावधानित करता है कि जब आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही (इ.रो.ब.) से रिफण्ड के दावे से संबंधित हो, तब प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में एक अभिस्वीकृति, जिसमें रिफण्ड के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख और रिफण्ड आवेदन के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित 60 दिन समय अवधि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो, सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। इ.रो.ब. के अलावा अन्य रिफण्ड के सम्बंध में आवेदन दाखिल करने के 15 दिनों की अवधि के अन्दर समुचित अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा जो इसकी पूर्णता की जाँच करेगा। रिफण्ड आवेदन दाखिल करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक को, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में अभिस्वीकृति उपलब्ध कराई जाएगी। अभिस्वीकृति में आवेदन दाखिल करने की तारीख और रिफण्ड आवेदन के प्रसंस्करण के लिए निर्धारित 60 दिन की समय अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। तदन्तर, परिपत्र संख्या 17/17/2017-व.एवं.से.क. दिनांक 15 नवम्बर 2017 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 (3) में प्रावधानित है कि यदि रिफण्ड आवेदन में कोई कमी पाया जाता है, तो समुचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामान्य पोर्टल के माध्यम से आवेदक को प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों की सूचना 15 दिनों के अन्दर देगा तथा उसे ऐसी कमियों के सुधार के बाद एक नया रिफण्ड आवेदन दाखिल करने का निर्देश देगा।

लेखापरीक्षा ने 144 चयनित रिफण्ड मामलों (74 मामलें, 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल और 70 मामलें 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल) की जाँच किया

और अभिस्वीकृति जारी करने में अनियमितताएँ पाया जिसकी चर्चा अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गई है।

अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों की जाँच किया और यह पाया कि चार वाणिज्य कर प्रमंडलों⁸ में अवस्थित पाँच वाणिज्य कर अँचलों⁹ के 14 रिफण्ड मामलों में अभिस्वीकृति जारी करने में आवेदन दाखिल करने से 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त, नौ से 246 दिनों तक का विलम्ब हुआ। इनमें से छः मामलों में एक से तीन महीनों और आठ मामलों में तीन महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ।

तदन्तर, लेखापरीक्षा ने (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल 70 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का जाँच किया और यह पाया कि चार वाणिज्य कर प्रमंडलों¹⁰ में अवस्थित पाँच वाणिज्य कर अँचलों¹¹ के पाँच रिफण्ड मामलों (सितम्बर 2019 और जून 2020 के बीच दाखिल) में प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में अभिस्वीकृति जारी (अक्टूबर 2019 और जुलाई 2020) करने में, आवेदन दाखिल करने से 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त तीन से 87 दिनों का विलम्ब हुआ। इनमें से पाँच मामलों में एक से तीन महीने का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को अभिस्वीकृति जारी करने में विलम्ब से बचने के लिए समुचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

अभिस्वीकृति जारी नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) किया और तीन वाणिज्य कर प्रमंडलों¹² में अवस्थित छः वाणिज्य कर अँचलों¹³ के 12 रिफण्ड मामलों (नवम्बर 2018 और जुलाई 2019 के बीच दाखिल) में यह पाया कि प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-02 में अभिस्वीकृति, जो रिफण्ड दावा दाखिल करने के 15 दिनों के अन्दर जारी किया जाना आवश्यक था, आदिनांक (जुलाई 2021) तक जारी नहीं किया गया।

⁸ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

⁹ आदित्यपुर, झरिया, कोडरमा, पलामू और राँची दक्षिणी।

¹⁰ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

¹¹ बोकारो, चाईबासा, धनबाद नागरीय, गिरीडीह और राँची दक्षिणी।

¹² धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

¹³ चाईबासा, चिरकुंडा, धनबाद नागरीय, लोहरदगा, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अभिस्वीकृति जारी करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

2.3.6.2 प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों का जापन संप्रेषित करने में विलम्ब

समुचित अधिकारियों ने, 12 मामलों में प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों को संप्रेषित करने के लिए, दावा दाखिल करने से 15 दिनों तक की निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप जापन जारी करने में तीन से 215 दिनों के बीच का विलम्ब हुआ।

परिपत्र सं. 17/17/2017-व.एवं.से.क. दिनांक 15 नवम्बर 2017 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 (3) प्रावधानित करता है कि यदि रिफण्ड आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो समुचित अधिकारी आवेदक को 15 दिनों के अन्दर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से, प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों का जापन संप्रेषित करेगा तथा उसे उन कमियों को सुधारने के बाद एक नया रिफण्ड आवेदन दाखिल करने को निर्देशित करेगा।

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) किया और तीन वाणिज्य कर प्रमंडलों¹⁴ में अवस्थित छः वाणिज्य कर अंचलों¹⁵ के 12 रिफण्ड मामलों (अक्टूबर 2018 और सितम्बर 2019 के बीच दायर) में पाया कि प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-03 में कमियों का जापन के सम्प्रेषण में, रिफण्ड आवेदन दाखिल करने से 15 दिनों तक की निर्धारित अवधि के बाद, तीन से 215 दिनों के बीच का विलम्ब हुआ। इनमें से, 11 मामलों में एक से तीन महीनों और एक मामले में तीन महीनों से अधिक का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को, उन रिफण्ड मामलों जिनमें समुचित अधिकारियों द्वारा कमी पाए गए हों, के लिए कमियों का जापन जारी करने में निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

¹⁴ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

¹⁵ आदित्यपुर, चिरकुंडा, धनबाद, जमशेदपुर नागरीय, पलामू और राँची पूर्वी।

2.3.6.3 रिफण्ड दावों की स्वीकृति/अस्वीकृति/भुगतान में अनियमितताएँ

रिफण्ड प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों की निगरानी के लिए प्रणाली के अभाव में, नौ मामलों में स्वीकृत ₹ 5.97 लाख की राशि का भुगतान दावेदारों को नहीं किया गया, जबकि 33 रिफण्ड मामलों में भुगतान 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के उपरान्त विलम्ब से किया गया, परिणामस्वरूप विभाग ₹ 5.48 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) यह प्रावधानित करता है कि समुचित अधिकारी रिफण्ड आवेदन सभी तरह से पूर्ण होने पर, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के अन्दर रिफण्ड का आदेश जारी करेगा। झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 यह उपबन्धित करता है कि रिफण्ड आवेदन प्राप्त होने पर अधिकारी जाँच करेगा, यदि आवेदक को रिफण्ड का दावा देय एवं भुगतान्य है तो वह आवेदन प्राप्त के 60 दिनों के अन्दर रिफण्ड की राशि को स्वीकृत करते हुए प्रपत्र जी.एस.टी.आर.एफ.डी.-06 में उसे औपबन्धिक आधार पर रिफण्ड की गई राशि का उल्लेख करते हुए, एक आदेश करेगा।

तदन्तर, झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 56 यह प्रावधानित करता है कि यदि आवेदन प्राप्त की तिथि से 60 दिनों के अन्दर कर की राशि का रिफण्ड नहीं किया गया, तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के समाप्त होने से लेकर रिफण्ड भुगतान होने की तिथि तक, छः प्रतिशत तक की दर से ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा ने 25 वाणिज्य कर अँचलों में 144 चयनित रिफण्ड मामलों (74 मामले, 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल और 70 मामले, 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल) का जाँच किया और 54 मामलों में स्वीकृति/अस्वीकृति और ₹ 11.45 लाख रिफण्ड और ब्याज का भुगतान नहीं होने की अनियमितताएँ पाई गयी, जो कि अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

रिफण्ड आवेदन की स्वीकृत में विलम्ब और फलस्वरूप ब्याज की देयता

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल किए गए 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और चार वाणिज्य कर प्रमंडलों¹⁶ में अवस्थित 10 वाणिज्य कर अँचलों¹⁷ के 20 रिफण्ड मामलों (नवम्बर 2018 और सितम्बर 2019 के बीच दायर) में यह पाया कि ₹ 1.51 करोड़ की राशि को रिफण्ड के रूप में दावा किया गया था। समुचित अधिकारियों ने इन दावों की जाँच कर उक्त राशि स्वीकृत किया (मार्च और नवम्बर 2019 के बीच) और प्रपत्र जी.एस.टी.आर.एफ.डी.-06 जारी किया; हालाँकि, इन स्वीकृत रिफण्ड दावों का भुगतान

¹⁶ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

¹⁷ आदित्यपुर, चाईबासा, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कोडरमा, लोहरदगा, राँची दक्षिणी और राँची विशेष।

(अप्रैल 2019 से नवम्बर 2020 के बीच) रिफण्ड आवेदन दाखिल करने की तिथि से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के उपरान्त एक से 445 दिनों तक के विलम्ब से किया गया था। इनमें से सात मामलों में एक से तीन माह और 13 मामलों में तीन माह से अधिक का विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और फलस्वरूप, विभाग दावेदारों को ₹ 3.85 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को, समुचित कारवाई करने एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दावों को स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

भुगतान के तंत्र और भुगतान में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि:

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (रा.व.एवं.से.क.) का दावा

20 मामलों में से जमशेदपुर और कोडरमा वाणिज्य कर अंचलों के सात मामलों में, रिफण्ड दावे के रा.व.एवं.से.क. हिस्से का भुगतान, रिफण्ड दावों की स्वीकृति की तिथि से 10 दिनों से लेकर 239 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था। विलम्ब के कारणों का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि समुचित अधिकारियों द्वारा समय सीमा का अनुपालन नहीं किया जाना साथ ही साथ शीर्ष स्तर पर, निर्धारित अवधि के अंतर्गत दावों के प्रसंस्करण के निगरानी के लिए तंत्र की अनुपस्थिति विलम्ब के लिए जिम्मेदार थे। समुचित अधिकारी द्वारा निधि के आवंटन के लिए अनुरोध स्वीकृति की तिथि से 149 दिनों तक के विलम्ब से किया गया और वा.क.वि. द्वारा निधि का आवंटन अनुरोध करने की तिथि से आठ से लेकर 19 दिनों के विलम्ब से किया गया था। इस प्रकार, शीर्ष और अंचल स्तरों पर तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप रिफण्ड के भुगतान के लिए निर्धारित अवधि का पालन करने में विफलता हुई। तदन्तर, दावेदारों को रिफण्ड का भुगतान निधि के आवंटन की तिथि से 30 से लेकर 82 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (के.व.एवं.से.क.)/ एकिकृत वस्तु एवं सेवा कर (ए.व.एवं.से.क.) दावे

के.व.एवं.से.क./ ए.व.एवं.से.क. दावों के 20 मामलों में, यह पाया गया कि के.व.एवं.से.क. भाग का भुगतान रिफण्ड दावे की स्वीकृति की तिथि से 28 दिनों से लेकर 419 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था। विलम्ब का आगे विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि:

- 12 मामलों में, रा.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश प्रतिपक्ष के.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी को रिफण्ड की स्वीकृति की तिथि से 14 से लेकर 205 दिनों के बीच के विलम्ब से सूचित किया गया था, यद्यपि, परिपत्र सं. 24/24/2017

व.एवं.से.क. दिनांक 21 दिसंबर 2017 के अनुसार प्रतिपक्ष कर अधिकारियों को स्वीकृति आदेश भेजने के लिए, रिफण्ड की स्वीकृति की तिथि से सात कार्य दिवस की अवधि निर्धारित थी।

- शेष आठ मामलों में, यद्यपि स्वीकृति आदेश रा.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत भेजे गए थे, के.व.एवं.से.क. अधिकारियों द्वारा भुगतान रिफण्ड की स्वीकृति से 25 से लेकर 419 दिनों के बीच के विलम्ब और रिफण्ड आवेदन दाखिल करने से 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा से नौ से लेकर 411 दिनों के बीच के विलम्ब से किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित अवधि के अनुसार रिफण्ड दावों के प्रत्येक चरण की पर्याप्त निगरानी के लिए तंत्र के अभाव में, विभाग रिफण्ड दावों के निपटान में हो रहे विलम्ब से अनजान रहा।

अनुशंसा:

विभाग शीर्ष स्तर पर रिफण्ड आवेदनों के प्रसंस्करण की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है ताकि समुचित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

- लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल 70 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (दिसम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और सभी पाँच प्रमंडलों¹⁸ में अवस्थित नौ वाणिज्य कर अंचलों¹⁹ के 13 रिफण्ड मामलों (अक्टूबर 2019 और मार्च 2020 के बीच दाखिल) में यह पाया कि ₹ 1.52 करोड़ की राशि को रिफण्ड के रूप में दावा किया गया था। समुचित अधिकारियों इन दावों की जाँच, उक्त राशि की स्वीकृति और भुगतान; रिफण्ड आवेदन दाखिल करने की तिथि से 60 दिनों की निर्धारित अवधि के उपरान्त चार से लेकर 221 दिनों के विलम्ब से (फरवरी और जुलाई 2020 के बीच) किया। तदन्तर, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारित अवधि के उपरान्त भुगतान होने पर, प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05 में संदाय सलाह में, ब्याज की राशि को स्वतः निर्धारित करने के लिए विभाग के बैकएंड प्रणाली के रिफण्ड मॉड्यूल में कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और फलस्वरूप विभाग दावेदारों को ₹ 1.63 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित अंचलों को, उचित कार्रवाई करने एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत दावों को स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

¹⁸ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं राँची।

¹⁹ आदित्यपुर, देवघर, धनबाद नागरीय, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, साहिबगंज एवं सिंहभूम।

रिफण्ड आवेदन के अस्वीकृति में विलम्ब किया जाना

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और पाया कि जमशेदपुर और राँची प्रमंडलों में अवस्थित पाँच वाणिज्य कर अंचलों²⁰ के 12 रिफण्ड मामलों (नवम्बर 2018 और अगस्त 2019 के बीच दाखिल) में ₹ 46.59 लाख की राशि को रिफण्ड के रूप में दावा किया गया था। इन दावों को समुचित अधिकारियों ने अभिलेख पर विलम्ब का कारण बताए बिना, स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए 60 दिनों की निर्धारित अवधि से 45 से लेकर 256 दिनों के बीच के विलम्ब से अस्वीकृत (सितम्बर 2019 और जनवरी 2020 के बीच) किया क्योंकि दावे संबंधित अधिनियम/नियमों के अनुसार नहीं थे। परिणामस्वरूप, झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54(7) के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ। वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचलों को, उचित कार्रवाई करने एवं रिफण्ड दावों का प्रसंस्करण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

औपबंधिक रिफण्ड के मामले में अंतिम रिफण्ड स्वीकृत नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और राँची प्रमंडल अवस्थित राँची पश्चिमी वाणिज्य कर अंचल के सात रिफण्ड मामलों (दिसम्बर 2018 में दाखिल) में यह पाया कि ₹ 50.09 लाख ए.व.एवं.से.क. के भुगतान के विरुद्ध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा बाँड/ वचन-पत्र के अंतर्गत किए गए शून्य दर पर आपूर्ति के आधार पर रिफण्ड का दावा किया था और कुल दावे का 90 प्रतिशत यथा ₹ 45.08 लाख का औपबंधिक रिफण्ड प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-04 में स्वीकृत और भुगतान किया गया था (जनवरी 2019); हालाँकि, शेष 10 प्रतिशत अंतिम रिफण्ड ₹ 5.01 लाख आदिनांक (जुलाई 2021) न तो स्वीकृत किया गया और न ही अस्वीकार किया गया। तदन्तर, लेखापरीक्षा ने पाया कि शीर्ष/प्रमंडल स्तर पर रिफण्ड आवेदनों के प्रसंस्करण की निगरानी के लिए तंत्र के अभाव के फलस्वरूप, अंतिम रिफण्ड दावे को स्वीकृत नहीं किए जाने का पता नहीं चल पाया। परिणामस्वरूप झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54 (7) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और फलस्वरूप विभाग, जुलाई 2020 तक अंतिम रिफण्ड के भुगतान नहीं करने के कारण ₹ 5.01 लाख के अंतिम रिफण्ड के साथ ₹ 0.45 लाख के ब्याज की देयता के लिए उत्तरदायी था।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचल को, उचित कार्रवाई करने एवं करदाताओं को अंतिम रिफण्ड स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

²⁰ आदित्यपुर, चाईबासा, जमशेदपुर नागरीय, राँची दक्षिणी एवं राँची विशेष।

स्वीकृत रिफण्ड दावों का भुगतान नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और धनबाद और जमशेदपुर प्रमंडलों में अवस्थित धनबाद नागरीय और सिंहभूम वाणिज्य कर अंचलों के दो मामलों में पाया कि हालाँकि, राज्य कर विभाग के समुचित अधिकारियों द्वारा ए.व.एवं.से.क./ के.व.एवं.से.क. से संबंधित ₹ 0.51 लाख के रिफण्ड दावों को स्वीकृत (मई और सितम्बर 2019 के बीच) कर दिया गया था, परन्तु दावेदारों को दावे का भुगतान जुलाई 2021 तक नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्वीकृति आदेशों को, रा.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी द्वारा समकक्ष के.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी को प्रेषित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप रिफण्ड का भुगतान नहीं हो पाया। तदन्तर, रिफण्ड दावों के प्रसंस्करण की निगरानी के लिए एक तंत्र के अभाव में विभाग, रा.व.एवं.से.क. नोडल अधिकारी द्वारा प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने से अनजान रहा।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्यकर अंचलों को, इन स्वीकृत रिफण्ड दावों का भुगतान करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

2.3.6.4 औपबंधिक रिफण्ड की स्वीकृति में विलम्ब

समुचित अधिकारी ने निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया और आठ मामलों में औपबंधिक रिफण्ड, अभिस्वीकृति जारी करने से तिथि से सात दिनों की निर्धारित अवधि के उपरान्त सात से लेकर 99 दिनों के बीच के विलम्ब से स्वीकृत किया।

झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 का नियम 91 (2) यह प्रावधानित करता है कि समुचित अधिकारी, आवेदन और प्रस्तुत साक्ष्य की जाँच पर, प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर, अभिस्वीकृति की तारीख से सात दिनों की अवधि के अन्दर, प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-04 में देय रिफण्ड राशि का एक औपबंधिक आदेश करेगा, जो कि कुल रिफण्ड दावे के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 से पूर्व दाखिल 74 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और हजारीबाग और राँची प्रमंडलों में अवस्थित गिरिडीह और राँची पश्चिमी वाणिज्य कर अंचलों के आठ मामलों (नवम्बर और दिसम्बर 2018 के बीच दाखिल) में पाया कि औपबंधिक रिफण्ड बिना कोई कारण बताए, अभिस्वीकृति जारी करने से सात दिनों की निर्धारित अवधि से सात से लेकर 99 दिनों के विलम्ब से स्वीकृत (जनवरी और मार्च 2019 के बीच) किया गया था। परिणामस्वरूप झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 91(2) के साथ पठित झा.व.एवं.से.क. अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचलों को, उचित कार्रवाई करने एवं अनंतिम रिफण्ड दावों को स्वीकृत करते समय निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

2.3.6.5 रिफण्ड का गलत अनुमत्य

समुचित अधिकारी, विभाग के पास उपलब्ध *जी.एस.टी.आर- 3ब* में मासिक विवरणी की तिर्यक जाँच करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप दावेदार को ₹ 0.15 लाख की रिफण्ड का गलत अनुमत्य हुआ।

झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 89 (1) और (2)(के) में यह प्रावधानित है कि कोई व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र *जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-01*, में किसी भी कर, ब्याज, अर्थदण्ड, शुल्क या उसके द्वारा भुगतान किए गए राशि के रिफण्ड का दावा करते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है, उक्त आवेदन के साथ अधिक भुगतान किये जाने के फलस्वरूप किया गया दावा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न होगा; ताकि यह स्थापित किया जा सके कि आवेदक को रिफण्ड देय है।

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल 70 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) और पाया कि धनबाद प्रमण्डल अवस्थित धनबाद नागरीय वाणिज्य कर अंचल के एक करदाता ने सितम्बर 2019 के महीने के लिए कर का अधिक भुगतान किए जाने के कारण ₹ 0.15 लाख की राशि के रिफण्ड का दावा (जनवरी 2020) किया था। दावा स्वीकृत (अप्रैल 2020) किया गया और प्रपत्र *जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05* में में संदाय सलाह जारी किया गया था (अप्रैल 2020)। तदन्तर, सितम्बर 2019 माह के *जी.एस.टी.आर.-3ब* की जाँच से यह पता चला कि पूर्तिकर्ता द्वारा कर का अधिक भुगतान नहीं किया था, बल्कि बकाये का दायित्व था। लेखापरीक्षा ने पाया कि रिफण्ड प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं जाँच किए जाने वाले दस्तावेजों को समाहित करते हुए एक जाँच-सूची तैयार नहीं किए गए थे; परिणामस्वरूप, समुचित अधिकारी तथ्य का तिर्यक जाँच करने में विफल रहे, फलस्वरूप करदाता को ₹ 0.15 लाख की राशि का गलत रिफण्ड हुआ।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचल को उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

2.3.6.6 बकाए की जाँच के बिना रिफण्ड दावों की स्वीकृति

झा.व.एवं.से.क. अधिनियम और पूर्व में निरस्त किए गए अधिनियमों के बकाए राशियों को संक्रमिक करने के लिए तंत्र के अभाव में रिफण्ड दावे के दो मामलों से ₹ 0.42 लाख के बकाए को समायोजित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 0.42 लाख के रिफण्ड का अधिक भुगतान हुआ।

झा.व.एवं.से.क. नियमावली, 2017 के नियम 92 में कहा गया है कि रिफण्ड के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, समुचित अधिकारी यह जाँच करेगा कि दावा किया गया रिफण्ड, दावेदार को देय और भुगतये है तब वह आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर रिफण्ड की राशि को स्वीकृत करते हुए प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-06 में एक आदेश देगा। तदन्तर, इस अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती अधिनियमों के अंतर्गत बकाए रह गए राशियों को दावा किए गए रिफण्ड से समायोजित किया जाना है और शेष राशि ही रिफण्ड होने योग्य है। हालांकि, ऐसे मामलों में, जब रिफण्ड की राशि बकाया राशि से पूरी तरह से समायोजित हो जाए, तब समायोजन प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-07 के भाग-ए में जारी किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 26 सितम्बर 2019 या उसके उपरान्त दाखिल 70 रिफण्ड मामलों के अभिलेखों का नमूना जाँच (नवम्बर 2020 और मार्च 2021 के बीच) किया और दुमका और धनबाद प्रमंडलों में अवस्थित गोड्डा और बोकारो वाणिज्य कर अंचलों के दो रिफण्ड मामलों में यह पाया कि, दो करदाताओं ने (नवम्बर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) रोकड़ बही में अत्यधिक शेष होने के कारण ₹ 2.87 लाख के रिफण्ड का दावा किया था। समुचित अधिकारियों ने दावे को स्वीकृत किया और प्रपत्र जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-05 में संदाय सलाह (फरवरी और जुलाई 2020 के बीच) जारी किया। तदन्तर, बोकारो वाणिज्य कर अंचल के एक मामले में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ₹ 0.40 लाख के रिफण्ड दावे के विरुद्ध झा.व.एवं.से.क. अधिनियम 2017 के अंतर्गत ₹ 1.40 लाख की बकाया देनदारी थी, तदनुसार दावा स्वीकार्य नहीं था। तदन्तर, गोड्डा वाणिज्य कर अंचल के मामले में ₹ 2.47 लाख के दावे के विरुद्ध झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ₹ 1,500 की बकाया देनदारी थी, जिसे समायोजित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि व.एवं.से.क. के अंतर्गत देय रिफण्ड से पूर्ववर्ती बकायों को समायोजित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था।

वा.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि सम्बंधित वाणिज्य कर अंचल को उचित कार्रवाई करने एवं रिफण्ड दावों के प्रसंस्करण के दौरान शेष बकाए की जाँच करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है।

अनुशांसा:

विभाग, रिफण्ड प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं एवं जाँच किए जाने वाले दस्तावेजों को समाहित करते हुए एक जाँच-सूची तैयार कर सकता है।

2.3.7 आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

आंतरिक नियंत्रणों का प्रयोजन कानून, नियमावलियों और विभागीय निर्देशों के उचित पालन का तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना है। ये धोखे एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और बचाव में भी मदद करते हैं। आंतरिक नियंत्रण शीघ्र एवं दक्ष सेवाओं के लिए और करों और शुल्कों के अपवंचन के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधन सूचना प्रणालियों के सृजन में भी मदद करते हैं। अतः एक उचित आंतरिक नियंत्रण संरचना की स्थापना, समीक्षा और इसे प्रभावी रखने के लिए यह समय-समय पर अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व है। आंतरिक नियंत्रणों के मूल्यांकन के दौरान, निम्नलिखित विसंगतियां पायी गयी जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिका में की गई है:

2.3.7.1 शीर्ष स्तर पर रिफण्ड दावों की निगरानी नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग में निर्धारित अवधि के अनुसार रिफण्ड दावों के प्रत्येक चरण की पर्याप्त निगरानी करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। अतः विभाग भी रिफण्ड दावों के निष्पादन में हो रहे विलम्ब से अनभिज्ञ रहा। विभाग ने कहा (जुलाई 2021) कि रिफण्ड आवेदनों को दाखिल और प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया अंचल स्तर पर निष्पादित की जाती है। अंचल स्तर पर समुचित अधिकारी द्वारा समय सीमा का अनुपालन एवं रिफण्ड प्रक्रिया के समापन की निगरानी/जांच के लिए शीर्ष स्तर पर अंचलों में दाखिल और स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए रिफण्ड मामलों का एक आवधिक (तिमाही, वार्षिक) प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक था।

तदन्तर, यह पाया गया कि उपरोक्त समय सीमा के अनुपालन की निगरानी के लिए प्रमण्डल या शीर्ष स्तर पर कोई तंत्र नहीं था।

2.3.8 निष्कर्ष

वा.क.वि. ने रिफण्ड आवेदनों के प्रसंस्करण की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार नहीं किया, परिणामस्वरूप, वह रिफण्ड दावों के निष्पादन में हो रहे विलम्ब से अनजान रहा, फलस्वरूप नौ मामलों में ₹ 5.97 लाख के रिफण्ड दावों की स्वीकृति/भुगतान नहीं हो पाया।

रिफण्ड आवेदनों की अभिस्वीकृति, जो कि दावा दाखिल करने के 15 दिनों के अन्दर जारी/सूचित किया जाना आवश्यक था, नौ से लेकर 246 दिनों के बीच विलम्ब से जारी किया गया। इसके अलावा, 12 रिफण्ड मामलों में अभिस्वीकृति लेखापरीक्षा की तारीख तक जारी नहीं की गयी थी और औपबंधिक रिफण्ड, जो कि अभिस्वीकृति जारी होने के सात दिनों के अन्दर स्वीकृत किया जाना आवश्यक था, सात से लेकर 99 दिनों के बीच के विलम्ब से स्वीकृत किया गया था।

समुचित अधिकारियों द्वारा अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने और संदाय सलाह में ब्याज की राशि को स्वतः निर्धारित करने के तंत्र के

अभाव के परिणामस्वरूप 33 मामलों में रिफण्ड पर ₹ 5.48 लाख की राशि का ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

अन्य अवलोकन

2.4 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण सम्पन्न करते समय व्यवसायियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच नहीं की जिसके फलस्वरूप 39 व्यवसायियों द्वारा ₹ 3,271.08 करोड़ के आवर्त के छुपाए जाने का पता नहीं चला तथा परिणामस्वरूप ₹ 812.99 करोड़ के कर एवं शास्ति का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, की धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के ठोस कारण हैं कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझ कर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है, तो उक्त प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा। तदन्तर, अधिनियम निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्रा.) को छिपाए गए आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त, निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के तीन गुना राशि के समतुल्य अर्थदण्ड अधिरोपण का अधिकार देता है।

लेखापरीक्षा ने 15 वाणिज्य कर अंचलों²¹ में निबंधित 66,822 व्यवसायियों में से 1,610 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि 39 व्यवसायियों ने 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान आवधिक विवरणियों और प्रपत्र मू.व.क.-409 में मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा ₹ 38,165.20 करोड़ के क्रय/विक्रय आवर्त दर्शाया था, जिस पर कर निर्धारण सम्पन्न किया गया था (मई 2016 और मार्च 2019 के बीच)। तदन्तर, लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों²² की जाँच से यह पता चला कि वास्तविक क्रय/विक्रय आवर्त ₹ 41,436.28 करोड़ था। इस प्रकार, अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सूचना के साथ विवरणियों का तिर्यक जाँच करने में नि.प्रा. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3,271.08 करोड़ के आवर्त का छुपाव हुआ। फलस्वरूप ₹ 609.42 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 812.99 करोड़ कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामलों को बताये जाने (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) पर आठ वाणिज्य कर अंचलों²³ के नि.प्रा. ने 17 मामलों में ₹ 243.71 करोड़ के अतिरिक्त माँग सृजित

²¹ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

²² वार्षिक विवरणियाँ, ट्रेडिंग खाते, व्यवसायी द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को दायर प्रपत्र ई.आर-1, मू.व.क. 506 एवं वार्षिक लेखापरीक्षित खाते।

²³ आदित्यपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, कतरास, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

किया (फरवरी 2020 और सितम्बर 2021 के बीच) एवं शेष नि.प्रा. ने कहा (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/विभाग को (अगस्त 2021) प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2022)।

2.5 बढ़ाए गए आवर्त पर अर्थदण्ड/ब्याज का नहीं लगाया जाना

नि.प्रा. ने बिक्रय छिपाए जाने के कारण नौ व्यवसायियों के आवर्त को बढ़ाया एवं ₹ 43.84 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया परन्तु ₹ 131.51 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40(2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारण प्राधिकारी किसी कार्यवाही के दौरान या किसी सूचना के आधार पर, जो उसे कर निर्धारण के पूर्व या अन्यथा प्राप्त हुई हो, यह संतुष्ट है कि निबंधित व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि को कम करने की उद्देश्य से किसी क्रय या विक्रय को छुपाया गया है, तो विहित प्राधिकारी अप्रकट या छिपाये गए आवर्त पर निर्धारित अतिरिक्त कर के साथ-साथ निर्धारित अतिरिक्त कर के तिगुने राशि के समतुल्य अर्थदण्ड का भुगतान करने का निर्देश देगा।

लेखापरीक्षा ने छः वाणिज्य कर अंचलों²⁴ में निबंधित 28,165 व्यवसायियों में से 663 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (सितम्बर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) और पाया कि नौ व्यवसायियों ने 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए सकल आवर्त ₹ 4,995.52 करोड़ दर्शाया था। नि.प्रा. ने कर निर्धारण के दौरान (मार्च 2018 और मार्च 2019 के बीच) व्यवसायियों द्वारा कर अपवंचना की मंशा से छिपाए गए आवर्त के लिए सकल आवर्त को बढ़ाकर ₹ 5,863.76 करोड़ किया। तथापि, नि.प्रा. ने आवर्त में ₹ 868.24 करोड़ की वृद्धि की और ₹ 43.84 करोड़ का अतिरिक्त कर का निर्धारण किया परन्तु उन्होंने, बिना कारण बताए, बढ़ाए गए आवर्त पर निर्धारित अतिरिक्त कर पर आरोप्य ₹ 131.51 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया।

मामलों को बताए जाने (सितम्बर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) पर तीन वाणिज्य कर अंचलों²⁵ के नि.प्रा. ने पाँच मामलों में ₹ 2.47 करोड़ के अतिरिक्त माँग सृजित किया (अक्टूबर 2020 और सितम्बर 2021 के बीच) एवं शेष नि.प्रा. ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/ विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2022)।

²⁴ बोकारो, चाईबासा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और राँची पश्चिमी।

²⁵ चाईबासा, हजारीबाग, और कोडरमा।

2.6 अस्वीकृत छूटों/ रियायतों पर ब्याज का अनारोपण

14 वाणिज्य कर अंचलों के नि.प्रा. ने ₹ 2,264.96 करोड़ के छूटों, रियायतों या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के गलत समायोजन के दावों को अस्वीकृत किया। हालाँकि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹ 102.24 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005, इस अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम या उनके अंतर्गत बनाये गए नियमावली के अधीन आवश्यक साक्ष्य से समर्थित नहीं होने के कारण अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट, छूटों एवं कटौतियाँ और कोई अन्य छूट/ रियायतों पर ब्याज अधिरोपित करने का प्रावधान करता है। तदन्तर, अधिनियम निर्धारित अतिरिक्त कर के भुगतान में विलंब होने पर विलंब होने की तिथि से जब तक उक्त कर के भुगतान में निर्धारित द्वाारा विलंब किया जाता रहे, प्रति माह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने 14 वाणिज्य कर अंचलों²⁶ में निबंधित 58,045 व्यवसायियों में से 1,464 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि नि.प्रा. ने 40 व्यवसायियों के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के मामलों में ₹ 2,195.65 करोड़ के छूटों और रियायतों एवं ₹ 69.31 करोड़ के आई.टी.सी. के समायोजन के दावों को अस्वीकृत किया (जुलाई 2016 एवं मार्च 2019 के बीच)। उपरोक्त अस्वीकृत आवर्त पर नि.प्रा. द्वारा आई.टी.सी. सहित ₹ 152.81 करोड़ के अतिरिक्त कर आरोपित किया गया। हालाँकि, नि.प्रा. अस्वीकृत दावों पर ₹ 102.24 करोड़ की राशि का दण्डात्मक ब्याज लगाने में विफल रहे। तदन्तर, यह पाया गया कि कर निर्धारण के दौरान, आई.टी.सी. के समायोजन के अस्वीकृत दावों पर ब्याज का आरोपण समान रूप से उपरोक्त अंचलों में नहीं किया जा रहा था।

मामलों को बताए जाने पर (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) 10 वाणिज्य कर अंचलों²⁷ के नि.प्रा. ने 26 मामलों में ₹ 52.33 करोड़ के अतिरिक्त माँग सृजित किया (जून और सितम्बर 2021 के बीच) एवं शेष वाणिज्य कर अंचलों के नि.प्रा. ने कहा (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2022)।

²⁶ बोकारो, चाईबासा, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

²⁷ चाईबासा, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, कतरास, कोडरमा, पाकुड़, राँची दक्षिणी, राँची विशेष और तेनुघाट।

2.7 इनपुट कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) की स्वीकृति में अनियमितताएँ

नि.प्रा. ने 29 व्यवसायियों के मामलों में कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान ₹ 85.70 करोड़ के बदले ₹ 109.51 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.81 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18(8) (xv) के प्रावधानों के अंतर्गत, निबंधित व्यवसायियों द्वारा क्रय किए गए वस्तुओं को उसी रूप में बिक्री या अन्य सामग्रियों के निर्माण में उपयोग कर उनकी बिक्री केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होने वाले अंतर-राज्यीय व्यापार में किए जाने पर इनपुट कर क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदन्तर, राज्य के बाहर वस्तु के भण्डार अंतरण के मामले में, तैयार वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त ऐसी सामग्री जिन पर पाँच प्रतिशत से अधिक कर का भुगतान किया गया हो, पर आई.टी.सी. आनुपातिक रूप से अनुमत्य होगा। इस अधिनियम की धारा 18(8) में खण्ड (xviii) को दिनांक 23 सितम्बर 2015 की अधिसूचना के द्वारा सम्मिलित किया गया था, जिसमें यह प्रावधानित किया गया है कि विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान खपत हो गए या जल गए वस्तु जिनका अस्तित्व स्थानांतरित या तैयार वस्तु में मौजूद नहीं हो, के संबंध में आई.टी.सी. की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्तर्स्थापित प्रावधान को 01 अप्रैल 2015 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था। हालांकि, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक घोषणा के अनुसार प्रावधान अधिसूचना जारी होने की तिथि, जो कि 23 सितम्बर 2015 थी, से प्रभावी था। साथ ही, झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 26(6)(ब) के अनुसार, कर योग्य बिक्री कुल आवर्त के पाँच प्रतिशत या उससे कम होने पर कोई आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है।

लेखापरीक्षा ने 14 वाणिज्य कर अंचलों²⁸ में निबंधित 59,500 व्यवसायियों में से 1,346 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि 29 व्यवसायियों ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए ₹ 127.03 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया। नि.प्रा. ने कर निर्धारण के दौरान (जनवरी 2017 और मार्च 2019 के बीच) साक्ष्यों²⁹ से समर्थित होने के आधार पर इन व्यवसायियों को ₹ 109.51 करोड़ आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की। यद्यपि, जाँच करने पर, जैसा कि निम्न वर्णित है, यह पाया गया कि ये व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 85.70 करोड़ की राशि के आई.टी.सी. के हकदार थे। परिणामस्वरूप ₹ 23.81 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. अनुमत्य हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:

²⁸ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, कतरास, पाकुड़, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट।

²⁹ झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 35 (2), 35 (3) और 35 (4) के अंतर्गत कर योग्य वस्तु के क्रय के समय क्रेता व्यवसायी द्वारा कर के भुगतान का साक्ष्य निबंधित विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी प्रपत्र झा.मू.व.क. 404 में घोषणा।

- आठ वाणिज्य कर अंचलों³⁰ के नि.प्रा. ने 11 व्यवसायियों के मामले में वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 29.61 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दी हालाँकि इन व्यवसायियों ने के.बि.क. अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों को ₹ 314.00 करोड़ की अंतर-राज्यीय बिक्री की थी जिस पर नि.प्रा. द्वारा ₹ 29.61 करोड़ का आई.टी.सी. आनुपातिक नहीं किया गया था। अनुपात करने के उपरांत, स्वीकार्य आई.टी.सी. ₹ 27.84 करोड़ था। परिणामस्वरूप ₹ 1.77 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।
- पाँच वाणिज्य कर अंचलों³¹ के नि.प्रा. ने 11 व्यवसायियों के मामले में 2014-15 और 2016-17 की अवधि के लिए ₹ 24.27 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की। इन व्यवसायियों ने ₹ 5,347.41 करोड़ मूल्य के वस्तु का भण्डार अंतरण किया था, जिस पर नि.प्रा. द्वारा आई.टी.सी. का नहीं/गलत तरीके से आनुपातिक किया गया था। अनुपात करने के उपरांत, स्वीकार्य आई.टी.सी. ₹ 20.94 करोड़ था। परिणामस्वरूप ₹ 3.33 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।
- तीन वाणिज्य कर अंचलों³² के नि.प्रा. ने पाँच व्यवसायियों के मामले में 2015-16 और 2016-17 की अवधि के लिए ₹ 53.36 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की। हालाँकि, यह पाया गया कि आई.टी.सी. की अनुमति उन सामग्रियों की क्रय पर दी गई थी जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान जल गई और तैयार वस्तु में स्थानांतरित नहीं हुई। इन सामग्रियों की क्रय पर आई.टी.सी. को अस्वीकार करने के उपरांत, स्वीकार्य आई.टी.सी. ₹ 34.82 करोड़ था। परिणामस्वरूप ₹ 18.53 करोड़ के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।
- वाणिज्य कर अंचल, देवघर के नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 2.36 लाख की आई.टी.सी. की अनुमति दी। हालाँकि, यह देखा गया कि व्यवसायी का कर योग्य बिक्री कुल आवर्त के पाँच प्रतिशत से कम थी, अतः अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आई.टी.सी. के लिए व्यवसायी हकदार नहीं था। तदन्तर, वाणिज्य कर अंचल, रामगढ़ के नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 1.78 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति दी, हालाँकि, व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 1.62 करोड़ के आई.टी.सी. के हकदार था क्योंकि व्यवसायी द्वारा उपस्थापित ₹ 15.84 लाख के आई.टी.सी. से संबंधित घोषणा प्रपत्र झा.मू.व.क. 404, पूर्व की अवधि का था। परिणामस्वरूप दो व्यवसायियों के मामले में ₹ 18.20 लाख के अधिक आई.टी.सी. का अनुमत्य हुआ।

मामलों को बताये जाने (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) पर आठ वाणिज्य कर अंचलों³³ के नि.प्रा. ने 18 मामलों में ₹ 2.95 करोड़ का अतिरिक्त माँग सृजित

³⁰ आदित्यपुर, चाईबासा, देवघर, धनबाद, पाकुड़, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

³¹ आदित्यपुर, बोकारो, कतरास, राँची पश्चिमी और सिंहभूम।

³² बोकारो, गिरिडीह और राँची पूर्वी।

³³ आदित्यपुर, चाईबासा, देवघर, कतरास, पाकुड़, राँची पश्चिमी, सिंहभूम और तेनुघाट।

किया (जनवरी और सितम्बर 2021 के बीच) एवं शेष वाणिज्य कर अंचलों के नि.प्रा. ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/ विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2022)।

2.8 सकल आवर्त (स.आ.)/ करदेय आवर्त (क.दे.आ.) का गलत निर्धारण

नि.प्रा. ने सात व्यवसायियों के मामले में ₹ 2,407.40 करोड़ के बदले ₹ 1,962.03 करोड़ का स.आ./क.दे.आ. निर्धारित किया, परिणामस्वरूप ₹ 445.37 करोड़ के स.आ. का कम निर्धारण हुआ और फलस्वरूप ₹ 22.33 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (xxv) के प्रावधानों के अंतर्गत सकल आवर्त एक व्यवसायी द्वारा प्राप्त या प्राप्य विक्रय राशि का कुल योग है। तदन्तर, करदेय आवर्त का तात्पर्य उस निर्धारित आवर्त से है जिस पर एक व्यवसायी अपने सकल आवर्त से ऐसी कटौती करने के बाद कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 25 के उप-नियम 4 में यह प्रावधान है कि कोई निबंधित मू.व.क. व्यवसायी अपनी क्रय या लागत मूल्य, जैसा भी मामला हो, से कम पर अपनी वस्तु का विक्रय नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाँच वाणिज्य कर अंचलों³⁴ में निबंधित 16,449 व्यवसायियों में से 553 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (नवम्बर 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि नि.प्रा. ने 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए सात व्यवसायियों का स.आ./क.दे.आ. ₹ 1,962.03 करोड़ निर्धारित किया। हालाँकि, यह पाया गया कि नि.प्रा. ने स.आ. का निर्धारण करने के दौरान प्रपत्र-झा.मू.व.क 409 में लेखापरीक्षित लेखों में दर्शाए गए निर्यात प्रोत्साहन से प्राप्ति और क्रय या लागत मूल्य से कम में वस्तु की बिक्री, ₹ 445.37 करोड़ के आवर्त पर विचार नहीं किया, जबकि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार यह सकल आवर्त का हिस्सा था। इस प्रकार, इन व्यवसायियों का वास्तविक स.आ./क.दे.आ. ₹ 2,407.40 करोड़ था। परिणामस्वरूप स.आ./क.दे.आ. का गलत निर्धारण हुआ और फलस्वरूप ₹ 22.33 करोड़ कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामलों को बताए जाने पर (नवम्बर 2019 और मार्च 2020 के बीच) चार वाणिज्य कर अंचलों³⁵ के नि.प्रा. ने छः मामलों में ₹ 21.42 करोड़ का अतिरिक्त माँग सृजित किया (जुलाई 2020 और सितम्बर 2021 के बीच) एवं देवघर वाणिज्य कर अंचल के नि.प्रा. ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

³⁴ देवघर, धनबाद, पाकुड़, तेनुघाट और राँची दक्षिणी।

³⁵ धनबाद, पाकुड़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

मामले को सरकार/ विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

2.9 कर के गलत दर का अनुप्रयोग

नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान कर की गलत दरें आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.53 करोड़ के कर का अल्परूपण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II भाग डी के प्रावधानों के अनुसार, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एच.ई.एम.एम.) के स्पेयर पार्ट्स 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य थे। तदन्तर, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के अनुसार जब किसी संविदा में श्रम, सेवा, भाड़ा प्रभार एवं अन्य सभी सदृश प्रभार की राशि अभिनिश्चित करने के अयोग्य है, तब उक्त प्रभारों की राशि कुल प्राप्त/प्राप्य के 30 प्रतिशत (असैनिक कार्यों के मामले में) के रूप में गणना की जाएगी, तथा इसके बाद प्राप्त करदेय आवर्त 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होंगे। तदन्तर, अप्रैल 2015 में जारी अधिसूचना के साथ पठित मार्च 2016 में जारी अधिसूचना के अनुसार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्भम (एम.एस.एम.ई.) के द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त पिग आयरन, स्टील स्ट्रैप, फेरो एलॉय और स्पंज आयरन की बिक्री पर, क्रेता एम.एस.एम.ई. द्वारा जारी घोषणा-पत्र प्रपत्र 'अ' में प्रस्तुत करने पर 2.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होगा। नवम्बर 2016 में जारी अधिसूचना के अनुसार, लौह और इस्पात की बिक्री पर कर की दर नवम्बर 2016 से पाँच प्रतिशत से संशोधित कर 5.5 प्रतिशत कर दी गई है।

लेखापरीक्षा ने पाँच वाणिज्य कर अंचलों³⁶ में निबंधित 23,632 व्यवसायियों में से 577 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई और दिसम्बर 2019 के बीच) और पाया कि:

- तीन वाणिज्य कर अंचलों³⁷ के नि.प्रा. ने पाँच व्यवसायियों के मामले में 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए कर निर्धारण संपन्न करने (दिसम्बर 2017 और मार्च 2019) के दौरान दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण, श्रम एवं अन्य सदृश प्रभारों के मद में कुल प्राप्त का 30 प्रतिशत राशि स्वीकृत किया। हालाँकि, इसके उपरांत निर्धारित ₹ 147.76 करोड़ के करदेय आवर्त पर नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आरोप्य 14 प्रतिशत के बदले पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। परिणामस्वरूप ₹ 13.30 करोड़ के कर का अल्परूपण हुआ।
- हजारीबाग वाणिज्य कर अंचल में नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान ₹ 1.27 करोड़ के एच.ई.एम.एम. के स्पेयर पार्ट्स की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 6.34 लाख का कर आरोपित किया। हालाँकि,

³⁶ गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, सिंहभूम और तेनुघाट।

³⁷ कोडरमा, सिंहभूम और तेनुघाट।

14 प्रतिशत की दर से ₹ 17.76 लाख की राशि का कर आरोप्य था। परिणाम स्वरूप ₹ 11.42 लाख कर का अल्पारोपण हुआ।

- हजारीबाग वाणिज्य कर अंचल के नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के 2015-16 की अवधि के लिए कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान (मार्च 2019) एम.एस.एम.ई. को ₹ 23.59 करोड़ की बिक्री पर 2.5 प्रतिशत की दर से ₹ 58.97 लाख कर का आरोपण किया। हालाँकि, बिक्री वांछित घोषणा प्रपत्र 'ए' द्वारा समर्थित नहीं था और अतः उपरोक्त आवर्त पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 1.18 करोड़ कर आरोप्य था। परिणाम स्वरूप ₹ 58.97 लाख कर का अल्पारोपण हुआ।

- गिरिडीह वाणिज्य कर अंचल के नि.प्रा. ने तीन व्यवसायियों के मामले में 2016-17 की अवधि के लिए कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान (दिसम्बर 2018 और मार्च 2019 के बीच) नवम्बर 2016 और मार्च 2017 के बीच लौह और इस्पात के ₹ 106.31 करोड़ की बिक्री पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 5.32 करोड़ कर आरोपित किया। हालाँकि, इन वस्तुओं पर आरोप्य कर की दर नवम्बर 2016 के प्रभाव से पाँच प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत संशोधित की गई थी। अतः इनके विक्रय पर ₹ 5.85 करोड़ का कर आरोप्य था, परिणामस्वरूप ₹ 53.16 लाख कर का अल्पारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.प्रा. द्वारा अधिनियम, नियमावली और सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों को लागू करने में तत्परता की कमी के कारण कर की गलत दर आरोपित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 14.53 करोड़ का अल्पारोपण हुआ।

मामलों को बताये जाने पर (सितम्बर और दिसम्बर 2019 के बीच) पाँच वाणिज्य कर अंचलों³⁸ के नि.प्रा. ने छः मामलों में ₹ 10.34 करोड़ का अतिरिक्त माँग सृजित किया (सितम्बर 2021) एवं कहा कि शेष मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

2.10 कर का अल्पारोपण

दो अंचलों के नि.प्रा. ने तीन व्यवसायियों के मामले में कर देय आवर्त ₹ 3,757.22 करोड़ निर्धारित किया। हालाँकि, भूलवश ₹ 3,706.45 करोड़ के करदेय आवर्त पर कर आरोपित किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

निर्धारण प्राधिकारी को के.बि.क./झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अत्यंत सावधानी और दक्षता के साथ कर निर्धारण को संपन्न करना है। नि.प्रा. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर की गणना शुद्धता से की गई है।

³⁸ गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, सिंहभूम और तेनुघाट।

लेखापरीक्षा ने हजारीबाग और जमशेदपुर नागरीय वाणिज्य कर अंचलों में निबंधित 11,236 व्यवसायियों में से 200 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई और नवम्बर 2019 के बीच) और पाया कि तीन व्यवसायियों के मामले में नि.प्रा. ने 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान (मार्च 2018 और मार्च 2019 के बीच) करदेय आवर्त ₹ 3,757.22 करोड़ निर्धारित किया। हालाँकि, भूलवश कर का आरोपण ₹ 3,706.45 करोड़ के आवर्त पर किया गया था। अतः ₹ 50.77 करोड़ के आवर्त पर कर आरोपित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

मामलों को बताये जाने पर (जुलाई और नवम्बर 2019 के बीच) हजारीबाग और जमशेदपुर नागरीय वाणिज्य कर अंचलों के नि.प्रा. ने उपरोक्त तीनों मामलों में ₹ 2.54 करोड़ का अतिरिक्त माँग (अगस्त 2019 और जून 2021 के बीच) सृजित किया।

मामले को सरकार/ विभाग को अगस्त 2021 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

2.11 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

नि.प्रा. ने ₹ 92.59 करोड़ के आवर्त पर पाँच प्रतिशत के.बि.क. और झा.मू.व.क. के अंतर्गत 14 प्रतिशत आरोप्य कर की दरों के बदले दो प्रतिशत की रियायती दर से के.बि.क. आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.64 करोड़ के.बि.क. का अवनिर्धारण हुआ।

के.बि.क अधिनियम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी वस्तु के क्रय या विक्रय को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई मानी जाएगी यदि क्रय या विक्रय के दौरान वस्तु की आवाजाही एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है। के.बि.क नियमावली, 1957 के नियम 12(1) और 12(4) के साथ पठित धारा 6(2) यह प्रावधानित करता है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी वस्तु का विक्रय इस अधिनियम के अंतर्गत करदेयता से मुक्त होगी यदि व्यवसायी, निर्धारित प्राधिकारी को विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी प्रपत्र ई। या ई॥ में एक प्रमाण पत्र और वस्तु की अनुवर्ती क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र सी प्रस्तुत करे। तदन्तर, धारा 8(1) और 8(4) और नियम 12(4) यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक व्यवसायी अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान निबंधित व्यवसायी को वस्तु विक्रय करता है, क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी घोषणा प्रपत्र 'सी' को प्रस्तुत करने पर अपने आवर्त पर दो प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने हजारीबाग एवं जमशेदपुर वाणिज्य कर अंचलों में निबंधित 18,145 व्यवसायियों में से 250 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जुलाई एवं अक्टूबर 2019 के बीच) और निम्न उद्घाटित किया।

- वाणिज्य कर अंचल, हजारीबाग में नि.प्रा. ने 2015-16 की अवधि के लिए एक व्यवसायी के द्वारा प्रपत्र 'सी' के प्रस्तुत किए जाने पर ₹ 265.16 करोड़ के आवर्त पर दो प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया (मार्च 2019)। हालाँकि, सभी प्रपत्र 'सी' में कर की राशि सम्मिलित थी। जाँच से उद्घाटित हुआ कि ₹ 5.21 करोड़ की कर की राशि के कटौती के उपरांत प्रपत्र का शुद्ध मूल्य ₹ 259.96 करोड़ था। चूंकि ₹ 5.21 करोड़ का आवर्त प्रपत्र 'सी' द्वारा समर्थित नहीं था, अतः उक्त आवर्त पर दो प्रतिशत की रियायती दर के बदले पाँच प्रतिशत का कर आरोप्य था।

- वाणिज्य कर अंचल, जमशेदपुर में नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में 2013-14 और 2014-15 की अवधि के लिए ₹ 87.39 करोड़ के आवर्त को प्रपत्र 'सी' के प्रस्तुत करने के आधार पर राज्य के अंदर बिक्री के बदले, अंतर-राज्यीय बिक्री मानते हुए दो प्रतिशत की रियायती दर पर के.बि.क. का आरोपण किया (फरवरी 2017 और मार्च 2018 के बीच), जबकि प्रपत्र प्राप्त करने वाले व्यवसायी (विक्रेता) और जारी करने वाले व्यवसायी (क्रेता) दोनों इसी राज्य से सम्बंधित थे। ऐसे में उक्त आवर्त पर झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत 14 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य था।

परिणामस्वरूप ₹ 92.59 करोड़ के आवर्त पर कर के रियायती दर का गलत आरोपण हुआ और फलस्वरूप ₹ 10.64 करोड़ के के.बि.क. का अवनिर्धारण हुआ।

मामलों को बताये जाने पर (जुलाई और अक्टूबर 2019 के बीच) नि.प्रा. ने कहा कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

मामले को सरकार/विभाग को फरवरी 2020 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।

खान एवं भू-तत्व विभाग

2.12 झारखण्ड में खनन प्राप्तियों की स्थिति

झारखण्ड एक खनिज समृद्ध राज्य है। राज्य के पास देश के कुल खनिज संसाधनों का 40 प्रतिशत है और राज्य में 30 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राज्य कोयला के भण्डार में पहला, लौह अयस्क के भण्डार में दूसरा, तांबा अयस्क के भण्डार में तीसरा, बॉक्साइट अयस्क के भण्डार में सातवां स्थान रखता है और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है।

खान एवं भू-तत्व विभाग वृहद खनिजों के लिए केंद्रीय कानूनों, जैसे खान और खनिज (विकास और विनियमन) (खा.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957, खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियमावली, 2016 और खनिज संरक्षण और विकास नियमावली (एम.सी.डी.आर.), 1988 को प्रशासित करता है। विभाग लघु खनिजों के लिए झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 को भी प्रशासित करता है।

विभाग के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों/सूचना के अनुसार सितम्बर 2021 तक राज्य के खनन पट्टों की स्थिति तालिका-2.4 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.4

खनन पट्टों का अंचल-वार स्थिति

अंचलों का नाम	वृहद खनिजों के पट्टे			लघु खनिजों के पट्टे		
	कुल पट्टों की संख्या	कार्यरत पट्टों की संख्या	अकार्यरत पट्टों की संख्या	कुल पट्टों की संख्या	कार्यरत पट्टों की संख्या	अकार्यरत पट्टों की संख्या
धनबाद	138	61	77	519	124	395
दुमका	19	3	16	1,314	270	1,044
हजारीबाग	52	20	32	538	65	473
कोल्हान	97	11	86	429	86	343
पलामू	20	7	13	210	78	132
राँची	58	19	39	671	85	586
	384	121	263	3,681	708	2,973

तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य में वृहत्त खनिजों के कुल 384 पट्टे और लघु खनिजों के 3,681 पट्टे हैं। इनमें से वृहत्त और लघु खनिजों के क्रमशः 263 और 2,973 पट्टे अकार्यरत पट्टे हैं। पट्टों के अकार्यशील होने का कारण पूछे जाने (सितम्बर 2021) पर भी विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

2.12.1 खान एवं भू-तत्व विभाग द्वारा 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका-2.5 में दिया गया है।

तालिका- 2.5
खनन प्रप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियाँ	पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (-)
2015-16	4,384.43	(+) 17.40
2016-17	4,094.25	(-) 6.62
2017-18	5,941.36	(+) 45.11
2018-19	5,934.64	(-) 0.11
2019-20	5,461.36	(-) 7.97

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, राज्य की खनन प्राप्तिर्यों में निरंतरता नहीं थी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान गैर-कर प्राप्तिर्यों में खनन प्राप्तिर्यों का सर्वाधिक योगदान (72 प्रतिशत) रहा है और राज्य द्वारा सृजित राजस्व में दूसरा सबसे बड़ा योगदान कर्ता (25 प्रतिशत) रहा है।

2.13 कर प्रशासन

राज्य में स्वामिस्व का आरोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा झारखण्ड लघु खनिज रियायत नियमावली, 2004 द्वारा शासित होता है।

सरकार के स्तर पर, सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग तथा निदेशालय स्तर पर, खान निदेशक अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। खान निदेशक को मुख्यालय स्तर पर एक अतिरिक्त खान निदेशक (अ.खा.नि.) और खान उप-निदेशक (खा.उ.नि.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्य को छः अंचलों³⁹ में विभाजित किया गया है, प्रत्येक एक खा.उ.नि. के प्रभार में है। अंचलों को पुनः 24 जिला खनन कार्यालयों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक एक जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.)/सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) के प्रभार में है। जि.ख.प./स.ख.प. स्वामिस्व और अन्य खनन देय राशियों के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें खान निरीक्षकों (खा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जि.ख.पदा. और खा.नि. पट्टाधारित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और खनिजों के उत्पादन और प्रेषण की समीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं।

2.14 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा ने खान एवं भू-तत्व विभाग की 51 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 17⁴⁰ के (33 प्रतिशत) अभिलेखों की नमूना जाँच किया। नमूना

³⁹ चाईबासा, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, हजारीबाग और राँची।

⁴⁰ खान निदेशक, राँची; जिला खनन कार्यालय, चाईबासा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, राँची, साहिबगंज और सरायकेला-खरसावां; अभ्रक लेखा निरीक्षक, कोडरमा।

जाँच किये गए इकाइयों में 1,424 खनन पट्टों (वृहत खनिजों के 275 और लघु खनिजों के 1,149) में से लेखापरीक्षा ने 272 खनन पट्टों (वृहत खनिजों के 59 और लघु खनिजों के 213) के अभिलेखों की जाँच किया। वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग की प्राप्तियाँ ₹ 5,934.64 करोड़ थी जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 4,517.38 करोड़ (76 प्रतिशत) एकत्र किया। लेखापरीक्षा ने 160 मामलों में ₹ 1,519.32 करोड़ की अनियमितताओं को देखा जैसा कि तालिका-2.6 में वर्णित है।

तालिका- 2.6

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	अवैध खनन के लिए अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना (मामले न्यायालय में लम्बित)	9	832.37
2	स्वामिस्व का कम आरोपण	9	64.11
3	नियत लगान और ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना	14	13.68
4	ईट भट्टों के अवैध संचालन के लिए अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना	9	10.50
5	मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं करने पर अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना	9	0.62
6	बकाये माँग की वसुली नहीं होना	2	0.11
7	अन्य मामले	108	597.93
कुल		160	1,519.32

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताये एक मामले में ₹ 90.35 लाख अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

खनन प्राप्तियों से संबंधित ₹ 15.42 करोड़ मूल्य के अनियमितताओं के आठ मामले नीचे दर्शाया गया है।

2.15 स्वामिस्व की गलत दर लागू करना

अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्वामिस्व की दर को सत्यापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.42 करोड़ की स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 के प्रावधानों के तहत, खनन पट्टाधारी, पट्टे क्षेत्र से हटाये गए या उपभुक्त खनिज पर खा.ख.वि.नि. अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उस समय के लिए, दिए गए दर से स्वामिस्व का भुगतान करेगा। कोयले पर स्वामिस्व की दर विपत्र में प्रदर्शित कोयले की कीमत का 14 प्रतिशत है, जबकि एल्यूमीनियम धातु के निष्कर्षण में प्रयोग हेतु प्रेषित बॉक्साइट अयस्क पर स्वामिस्व, अयस्क में निहित एल्यूमीनियम की मात्रा पर का लंदन मेटल

एक्सचेंज के मूल्य का शून्य दशमलव छः प्रतिशत है। जनवरी 2017 में जारी मूल्य अधिसूचना के अनुसार, वाशड प्राइम कोकिंग कोल जिसमें गारंटीकृत राख की मात्रा 19 प्रतिशत हो, का आधार मूल्य ₹ 13,187 प्रति टन था। इस अधिसूचित आधार मूल्य में अधिलाभ/शास्ति की भी उपधारा है कि यदि गारंटीकृत राख की मात्रा अर्थात्, 19 प्रतिशत से राख मात्रा से 0.11 प्रतिशत की वृद्धि/कमी होती है तो आधार मूल्य 0.23 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा/घटेगा। तदन्तर, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(1) प्रावधान करता है कि खनन पट्टाधारी नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना या नियम 10 के अधीन संशोधन, यदि कोई हो या नियम 11 या 12 के अधीन अनुमोदित खनन योजना या योजना, जैसा भी मामला हो, के अनुसार खनन कार्य करेगा।

लेखापरीक्षा ने तीन जिला खनन कार्यालयों⁴¹ में 128 वृहत खनिज पट्टों में से 24 के मासिक विवरणियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की नमूना जाँच किया (अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) और पाया कि खनिजों के निष्कर्षण में लगे आठ पट्टेधारियों ने अप्रैल 2016 और मार्च 2019 के बीच 35.60 लाख टन खनिजों (33.77 लाख टन कोयला और 1.83 लाख टन बॉक्साइट) का प्रेषण किया था। यद्यपि, ₹ 119.18 करोड़ स्वामिस्व देय था, पट्टेधारियों ने गलत दरों पर ₹ 103.76 करोड़ का भुगतान किया, जिसे विभाग द्वारा अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार दरों को सत्यापित किए बिना स्वीकार कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.42 करोड़ स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

मामलों को बताये जाने (अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) पर जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2020) और सूचित किया कि माँग पत्र जारी किया गया है। जबकि, जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद एवं लोहरदगा ने कहा (अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच) कि उचित सत्यापन के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तदन्तर, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2022)।

मामले सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2022)।

⁴¹ धनबाद, हजारीबाग और लोहरदगा।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

2.16 कर प्रशासन

उत्पाद कर का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों/निर्गत अधिसूचनाओं से शासित होता है। सरकार के स्तर पर, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव, राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) विभाग के प्रमुख हैं और राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं प्रशासन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार हैं। उन्हें मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद एवं सहायक आयुक्त उत्पाद का सहयोग प्राप्त होता है। तदन्तर, झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमंडलों⁴² में विभक्त है, प्रत्येक उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रणाधीन है। प्रमंडलों को पुनः 24 उत्पाद जिलों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक के प्रभारी एक सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./अ.उ.) होते हैं।

2.17 लेखापरीक्षा के परिणाम

2019-20 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग के 31 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 11⁴³ (35 प्रतिशत) का नमूना जाँच किया। वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य में अप्रैल से जुलाई 2017 तक की अवधि में 1,111 खुदरा उत्पाद दुकानों का नवीनीकरण किया गया था। उसके बाद, 679 दुकानों को विभागीय स्तर से संचालित कराया गया था। 2018-19 में, 734 खुदरा उत्पाद दुकानों को विभागीय स्तर से संचालित कराया गया था। नमूना जाँच किये गए जिलों में, लेखापरीक्षा द्वारा शत प्रतिशत खुदरा दुकानों अर्थात्, 2017-18 के दौरान, अप्रैल से जुलाई 2017 तक नवीकृत कराये गए 232 खुदरा उत्पाद दुकानों और विभागीय स्तर से संचालित 142 दुकानों तथा 2018-19 के दौरान, विभागीय स्तर से संचालित 455 दुकानों की जाँच किया गया।

विभाग ने 2018-19 के दौरान ₹ 1,082.82 करोड़ राजस्व संग्रहित किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों के द्वारा ₹ 858.44 करोड़ (79.28 प्रतिशत) संग्रहित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने 534 मामलों में ₹ 186.54 करोड़ की अनियमितताओं को पाया जैसा कि तालिका-2.7 में वर्णित है।

⁴² उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग; दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

⁴³ सहायक आयुक्त उत्पाद का कार्यालय, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़ और राँची; अधीक्षक उत्पाद का कार्यालय, चाईबासा, देवघर, दुमका और गिरीडीह एवं सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, राँची।

तालिका-2.7

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	स्थानीय निकायों को अधिभार की राशि का स्थानान्तरण नहीं किया जाना	123	37.13
2	उत्पाद परिवहन कर का आरोपण नहीं किया जाना	234	8.42
3	अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली	11	4.25
4	खुदरा अनुमोदित/ दुकानों का संचालन नहीं किया जाना	44	3.08
5	खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव	26	2.07
6	खुदरा दुकानों के लिए जे.बी.एस.सी.एल. से अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	13	0.91
7	अन्य मामले	83	130.68
कुल		534	186.54

विभाग 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा बताये गए सभी अवलोकनों को स्वीकार किया और जुलाई 2021 तक 231 मामलों में सम्मिलित ₹ 4.18 करोड़ की वसूली किया।

कण्डिका 2.18 में 26 मामलों में सन्निहित ₹ 2.07 करोड़ के अनियमितताओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार की अनियमितताएँ लगातार पिछले पाँच वर्षों से प्रतिवेदित की जा रही है जैसा कि तालिका- 2.8 में वर्णित है।

तालिका- 2.8

(₹ करोड़ में)

अनियमितताओं की प्रकृति	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव	542	4.67	447	5.57	695	23.20	132	2.86	496	22.46	2,312	58.76

2.18 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव

विभाग न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव को सुनिश्चित करने हेतु कोई कारवाई नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप शराब का कम उठाव हुआ और उत्पाद शुल्क ₹ 2.07 करोड़ की हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

झारखण्ड उत्पाद (शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती) नियमावली, 2009 के नियम 17 के साथ पठित बिक्री अधिसूचना की शर्त संख्या 20 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकान अनुज्ञप्तिधारी, विभाग द्वारा खुदरा दुकान के लिए, शराब की प्रत्येक प्रकार के लिए, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.मा.) के उठाव के लिए बाध्य है, विफल होने पर सरकार को उत्पाद राजस्व की हुई क्षति के समतुल्य राजस्व वसूलनीय होगी।

लेखापरीक्षा ने सहायक आयुक्त उत्पाद, रामगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच किया (अक्टूबर 2019) और पाया कि 29 बंदोबस्त दुकानों (खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन हेतु प्रदत्त अनुज्ञप्ति) में से 26 खुदरा उत्पाद दुकानों के द्वारा अप्रैल 2016 और जूलाई 2017 के बीच झारखण्ड राज्य विवेरज निगम लिमिटेड से 18.63 लाख बल्क लीटर (बी.एल.) बीयर का उठाव किया जाना था। तथापि, इन उत्पाद दुकानों ने मात्र 11.72 लाख बल्क लीटर (बी.एल.) बीयर का ही उठाव किया। यह देखा गया कि खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु न्यू.प्र.मा. का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया गया था, जिसको बारह भागों में विभाजित किया गया था एवं खुदरा दुकानों के विक्रेताओं ने आवश्यकतानुसार शराब का मासिक उठाव किया। उत्पाद जिलों ने दुकानवार माह में निर्धारित न्यू.प्र.मा., माह के दौरान शराब के उठाव एवं माह तक शराब के उठाव से सम्बंधित प्रतिवेदन तैयार किया था एवं प्रतिवेदन को आयुक्त उत्पाद को अग्रसारित किया था। हालाँकि, विभाग ने कम उठाई गई शराब को अनुवर्ती महीनों में उठाव सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की, ताकि वर्ष के अंत में शराब की कुल निर्धारित न्यू.प्र.मा. का उठाव हो जाए। इसके परिणामस्वरूप 6.91 लाख बी.एल. बीयर का कम उठाव हुआ साथ ही उत्पाद शुल्क ₹ 2.07 करोड़ की हानि के समतुल्य अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं से वसूलनीय अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ। विभाग अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं अर्थदण्ड की वसूली करने में विफल रहा।

मामलों को बताये जाने (अक्टूबर 2019) पर, सरकार/विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2021) कि सम्बंधित अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिभूति राशि से ₹ 1.60 करोड़ की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि की वसूली के लिए निलामपत्र वाद दायर किया गया है। शेष राशि की वसूली से सम्बंधित सूचना प्रतीक्षित है (जनवरी 2022)।